सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 206/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :–22.09.2023

GCMS ID–2023/370

1. पुरूषोत्तम आ0 मदनलाल जाति धोबी निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली।
2. संजय आ0 मदनलाल जाति धोबी निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली।
3. गणेश आ0 मदनलाल जाति धोबी निवासी तालाबगांव तह0 हिण्डोली।
4. मुकेश पुत्र फूलादेवी जाति धोबी निवासी तालाबगांव हाल निवासी ग्राम उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक :– 07/11/2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 862/22 रकबा 0.9712 हैक्टेयर वाके ग्राम तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 862/22 रकबा 0.9712 हैक्टेयर वाके ग्राम तालाबगांव पर प्रार्थीगण के पिता का जिंदगी खेती करते रहे है और उक्त भूमि की सिंचाई वास्ते मौके पर कुआं खुदवा रखा है जिससे उक्त भूमि की सिंचाई करते रहे है। प्रार्थी 1 लगायत 3 के पिता श्री मदनलाल जी की मृत्यु दिनांक 03.07.2021 के बाद से प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काश्त कर उक्त चाह से सिंचाई करते आ रहे है। राजस्थान सरकार द्वारा गत वर्ष सभी काश्तकारों की भूमियॉ की नक्शे में तरमीम करने वास्ते डी0आर0ए0एल0एम0पी0 योजना चलाई गई थी और उक्त योजना के तहत निश्चित समय में सभी खातेदारों की भूमि की तरमीम ऑनलाईन करनी थी। पटवारी कानूनगों का अल्प अवधि में सभी भूमियों पर मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन कर तरमीम करना संभव नहीं होने से पटवारी कानूनगों द्वारा दफ्तर में बैठकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

कई भूमियों की तरमीम कर दी गई है। प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम भी इसी क्रम में हुई है। पटवारी कानूनगों ने मौके पर भूमि का भौतिक सत्यापन किए बिना ही व प्रार्थीगण के कब्जे से भिन्न स्थान की खसरा संख्या 862/22 की नक्शे में तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे से भिन्न स्थान पर प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 862/22 की नक्शे मे तरमीम की गई है जबकि प्रार्थीगण को मौके पर कब्जा नर्सिंग महाविद्यालय की भूमि खसरा संख्या 1093/22 के समीप उत्तरी साईड पर स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि जो नर्सिंग महाविद्यालय की भूमि खसरा संख्या 1093/22 के समीप उत्तरी साईड पर स्थित है जहां पर प्रार्थीगण का कुआ बना हुआ है। उक्त कुंए के स्थान पर पटवारी कानूनगों ने सिवायचक सरकारी भूमि गैर मुमकिन बरडा की तरमीम खसरा संख्या 1095/22 के रूप में कर दी है जो गलत की है। खसरा संख्या 1095/22 की तरमीम को विलोपित किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 862/22 की तरमीम नर्सिंग महाविद्यालय के समीप जहॉ प्रार्थीगण का कुआं बना हुआ है उक्त स्थान पर किया जाना न्यायोचित है साथ ही वर्तमान नक्शे में प्रार्थीगण की भूमि की की हुई तरमीम को निरस्त किया जाना भी आवश्यक है। तरमीम का मुख्य आधार कब्जा होता है और कब्जे के अनुरूप ही तरमीम किए जाने का प्रावधान है। प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा खसरा संख्या 1093/22 नर्सिंग महाविद्यालय के समीप है और खसरा संख्या 1093/22 के समीप ही प्रार्थीगण का कुआं बना हुआ है इस प्रकार प्रार्थी के कब्जे के स्थान पर खसरा संख्या 862/22 की तरमीम की जानी चाहिए थी लेकिन प्रार्थी की भूमि की तरमीम कब्जे से भिन्न स्थान पर खसरा संख्या 859/22 के सहारे कर दी गई है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीगण की भूमि जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है और मौके पर चाह बना हुआ है वह खसरा संख्या 1093/22 के सहारे उत्तरी ओर स्थित है लेकिन प्रार्थी के खाते कब्जे व कुएं के स्थान पर गलत रूप से 1095/22 की तरमीम अंकित कर दी गई है। प्रार्थी की भूमि पर की गई तरमीम खसरा संख्या 1095/22 के किए गए इन्द्राज को निरस्त कर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 862/22 की तरमीम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। गलत स्थान पर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 862/22 की तरमीम करने से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है और न ही तरमीम करने से पूर्व प्रार्थी की भूमि का भौतिक सत्यापन किया गया है। भौतिक सत्यापन किए बिना ही प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 862/22 की तरमीम कर प्रार्थी के सुनवाई के नैसर्गिक अधिकार का हनन किया है। प्रार्थी की भूमि के सहारे नर्सिंग कॉलेज के भवन का निर्माण करने पर प्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष दिनांक 17/04/2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान ने

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तहसीलदार हिण्डोली को मौके की रिपोर्ट 3 योम में प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे जिसकी पालना में पटवारी हल्का तालाबगांव मौके पर गया और पटवारी हल्का द्वारा जानकारी दी की तुम्हारी भूमि की तरमीम तुम्हारे कब्जे के अनुरूप नहीं है तुम्हारा कुआ व तुम्हारी भूमि के स्थान पर 1095/22 की तरमीम हो रही है तब प्रथम बार प्रार्थीगण को उक्त तरमीम की जानकारी हुई है। प्रार्थी ने दिनांक 15.07.2023 को तहसीलदार साहब हिण्डोली के समक्ष प्रार्थी की भूमि के तरमीम के गलत इंद्राज को दुरूस्त करने व प्रार्थी के चाह व कब्जे के स्थान पर नर्सिंग महाविद्यालय की भूमि खसरा संख्या 1093/22 के समीप उत्तरी साईड पर प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 892/22 की तरमीम करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय के आदेश के बिना उक्त तरमीम के गलत इंद्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण है। नक्शे में की हुई तरमीम के गलत इंद्राज को निरस्त किया जाकर नर्सिंग महाविद्यालय की भूमि खसरा संख्या 1093/22 के उत्तरीसाईड पर जहॉ प्रार्थीगण का कुआं व कमरा बना हुआ है उक्त कब्जे काश्त के स्थान पर प्रार्थीगण की भूमि खसरा ख्या 862/22 की तरमीम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही प्रार्थीगण के चाह व प्रार्थीगण की भूमि के स्थान पर नक्शे में की हुई खसरा संख्या 1095/22 की तरमीम को विलोपित किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थीगण प्राप्त करने अधिकारी हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार ने मुताबिक जॉच रिपोर्ट के तरमीम दुरूस्त किया जाना अपेक्षित होना अंकित किया है।

प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :-राजस्व/25/1697 दिनांक 04.07.2024 अनुसार खसरा संख्या 862/22 की भूमि जो कि प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है, की तरमीम, जो वर्तमान कब्जे व मौके अनुसार सही नहीं है, जिसकों प्रस्तावित नक्शे अनुसार किया जाना अपेक्षित है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू-सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।''

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। जो कि प्रार्थना पत्र के अनुसार रही है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 862/22 जो प्रार्थीगण खातेदारी में दर्ज है कि तरमीम दुरूस्ती बाबत पेश किया है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के खसरा संख्या 862/22 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार नहीं होने से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: क्रियात्मक आदेश :-

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि **खाता संख्या 108** के खसरा संख्या 862/22 वाके ग्राम तालाबगांव पटवार मण्डल तालाबगांव की वर्तमान राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः **खाता संख्या 108** के खसरा संख्या 862/22 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :- 07.11.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

07/11/2025

(शिवराज मीणा)

आर0ए0एस

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डोली

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446